डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. मु0 अंगूरी पुत्री सुक्का उर्फ सुक्खन पत्नि सोहनलाल जाति कोली निवासी हिण्डौन हालवासी ग्राम बाछरेन तहसील भुसावर जिला भरतपुर राजस्थान ———— वादीया

बनाम

1. मु0 दीपो पुत्री सुक्का उर्फ सुक्खन पत्नि प्रेमचन्द जाति कोली निवासी डैम्प रोड कोली पाडा हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. चतुर्भुज दत्तक पुत्र सुक्कन जाति कोली निवासी डैम्प रोड कोली पाडा हिण्डौन जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर तहसील हिण्डौन ———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा — **मुकदमा नं0 49/2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री बी.एस. जैन एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् बाबत् इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 12/8/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 49/2018 तारीख रजू:— 15.06.2018

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. मु0 अंगूरी पुत्री सुक्का उर्फ सुक्खन पत्नि सोहनलाल जाति कोली निवासी हिण्डौन हालवासी ग्राम बाछरेन तहसील भुसावर जिला भरतपुर राजस्थान ———— वादीया

बनाम

1. मु0 दीपो पुत्री सुक्का उर्फ सुक्खन पत्नि प्रेमचन्द जाति कोली निवासी डैम्प रोड कोली पाडा हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
2. चतुर्भुज दत्तक पुत्र सुक्कन जाति कोली निवासी डैम्प रोड कोली पाडा हिण्डौन जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर तहसील हिण्डौन ———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीया
2. श्री बी.एस. जैन एडवोकेट प्रतिवादी सं01ता 2

निर्णय दिनांक :— 12.08.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीया ने दावा बाबत् इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक ख0नं0 1767 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा स्थित हिण्डौन जिला करौली जिसका मौजा खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 कायम किया गया है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादीया व प्रतिवादी नं01 खास बहिनें हैं। प्रतिवादी नं02 , प्रतिवादी नं01 का पुत्र है यानि एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं। परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :— सुक्का उर्फ सुक्कन के एक पत्नि मु0 रूक्को (वेवा), दो पुत्रियॉ दीपो व अंगूरी तथा दीपो का एक पुत्र चतुर्भुज है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादीया के पिता को कोई मेज इश्यू नहीं था, महज दो पुत्रियॉ वादीया व प्रतिवादी नं01 थीं। वादीया के पिता का सन्! 1975 या

इसके आस पास स्वर्गवास हो गया था, उनकी मृत्यु के बाद जमीन वर्णित मद नं01 वाद पत्र मृतक रूक्को की खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो प्रतिवादीगण द्वारा सरकारी कर्मचारीयों से साज कर गलत खातेदारी दर्ज की गयी, क्योंकि कानूनन मृतक सुक्कन के सभी वारिसान के नाम विरासत का नामान्तकरण खुलना चाहिए था, यानि मु0 रूक्को हि01/3,दीपो हि0 1/3 तथा अूंगूरी हि01/3 का नामान्तकरण तस्दीक होना चाहिए था, ना कि अकेली मु0 रूक्को के नाम, इसलिए मु0 रूक्को के नाम खातेदारी एवइनसीयो बोइड व शून्य प्रभावी करार फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादीया व प्रतिवादी नं01 व उनकी माताजी के मध्य व सुक्कन की मृत्यु के बाद एक फेमेली सेटिलमेन्ट 5/–रूपया के स्आम्प पेपर पर दिनांक 15.12.1975 को एक फेमिली सेटिलमेन्ट डीडराईटर श्री कल्याण प्रसाद शर्मा की कलम से तीनों पक्षों के मध्य यानि रूक्को व उसकी दोनों पुत्रीयों अंगूरी व दीपा जिन्होने दुकान मकान का मुताविक फेमिली सेटिलमेन्ट बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं, जिनका कोई विवाद नहीं है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1767 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा जिसका मौजूदा खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 बना है को तीन हिस्सा बराबर मुताविक फेमिली सेटिलमेन्ट रखा गया था मगर प्रतिवादी नं01 व 2 द्वारा मु0 रूक्को से साज करके या फर्जी तौर पर एक वसीयत द्वारा मु0 रूक्को बहक प्रतिवादी नं02 चतुर्भुज दिनांक 07.12.1989 को तहसीलदार सब रजिस्टार हिण्डौन के यहॉ तस्दीक करवा कर उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 475 दिनांक 04.06.1994 को प्रतिवादी नं02 के हक में तकमील तस्दीक करवा दिया है, जिसका वादीया को कभी इल्म नहीं होने दिया है। वादीया व प्रतिवादी नं01 संयुक्त रूप से जमीन को काश्त करते चले आ रहे है और यह कम आज भी बदस्तूर है।

वाद पत्र के मद नं 06 में दर्ज किया है कि आराजी विवादग्रस्त मृतक सुक्कन से विरासत में प्राप्त हुई है और पुश्तैनी जमीन है। वसीयत कानूनन शून्य प्रभावी है। इसलिए तथाकथित वसीयत एवइनसीयो बोइड व शून्य प्रभावी है।

वाद पत्र के मद नं 07 में दर्ज किया है कि मु0 सुक्को का कानूनन 1/3 हिस्सा मुताविक विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम बनता है। हि0 1/3 से ज्यादा जायदाद का हस्तातंरण करने की मु0 रूक्को को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए तथाकथित वसीयत व मौजूदा खातेदारी बहक चतुर्भुज एवइनसीयो बोईड व शून्य प्रभावी है।

वाद पत्र के मद नं 08 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण सं0 475 दिनांक 04.06.1994जॉच जरिये हल्का गिरदावर द्वारा गोद पत्र द्वारा रूक्को बहक चतुर्भुज अंकित किया

है। नामान्तकरण के कॉलम नं0 14 में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 07.12.1989 का जिक्र किया है तथा जमाबन्दी आधार वर्ष सम्बत् 2047 में लगे नोट पर चतुर्भुज का दत्तक पुत्र सुक्कन बताया है, तीनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, वसीयत के आधार पर दत्तक नहीं हो सकता यानि जमाबन्दी अपने आप में गलत है, शून्य प्रभावी है।

वाद पत्र के मद नं 09 में दर्ज किया है कि वादीया दिनांक 07.06.2018 को वर्षा हो जाने पर अपने खेत को अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए आई थी कि प्रतिवादी सं01 के पास ही खडी थी, वहॉ पर 4–5 आदमी खेत के बेचान की बातें कर रहे थे, खरीददार प्रोपर्टी की खरीद फरोक्त करने वाले गिरोह जिसमें प्रतिवादी नं02 खेत का मूल्य 1 करोड 20 लाख रूपये मांग रहा था तथा वे 80 लाख रूपया लगा रहे थे, इस पर वादीया ने प्रतिवादीगण से जानकारी की तो प्रतिवादी नं01 ने कहा कि खेत हमने हमारे नाम करवा लिया है, बिक जायेगा तो तुझे 10–5 लाख रूपया दे देंगे, इस पर वादीया ने कहा कि हमारी पुश्तैनी जमीन को मैं बेचना नहीं चाहती तो प्रतिवादी नं02 द्वारा ऐलानियॉ तौर पर कहा कि तू कौन होती है हमें रोकने वाली, हमने पक्का काम करवा लिया है। भाग जा यहॉ से, इस पर वादीया ने प्रतिवादी नं01 व 2 को पडौसीयान व रिश्तेदारान को बुलवाकर समझाने का प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है और जमीन बेचने की खुले आम धमकी दी है, इसलिए अपपने हकूकों की रक्षार्थ दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं 10 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 06.06.2018 को प्रतिवादीगण सं01 व 2 द्वारा वादीया की पुश्तैनी जमीन को बेचने की खुली धमकी देने से बमुकाम कस्बा हिण्डौन इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं 14 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं 15 क, ख, ग में दर्ज किया है कि दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी ख0नं0 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादीया बहिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नं0 1 बहिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है तथाकथित वसीयत तारीखी 07.12.1989 आराजी पुश्तैनी के बाबत् है एवएनसीयो बोईड एवं शून्य प्रभावी है। दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादी के 1/2 हिस्से की मीट्स एण्ड बाउण्ड अलग खातेदारी कायम की जावे बाद रिपोर्ट कमिश्नर प्राप्त होने बंटवारा स्कीम उपरोक्त आश्य की फाईनल डिक्री बाबत् तकास्मा वादीया 1/2 तथा प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 की अलग अलग खातेदारी कायम कर समस्त रेवन्यू रिकार्ड एवं कागजात पटवार में अमल दरामद फरमाने का निवेदन किया है तथा दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादी सं01 व 2 डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबन्द फरमाया

जावे कि आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन के कब्जे काश्त वादीया में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें, वादीया को बेदखल नहीं करें, उसे शान्ति पूर्वक जमीन को उपयोग करने देवें, जमीन को अकृषि में परिवर्तित नहीं करें, रहन बय नहीं करें, रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं. 1 वाद पत्र स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि मद नं. 2 वाद पत्र में वादीया व प्रतिवादी नं01 का खास बहिनें होना स्वीकार है। शेष मजमून गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादी नं02 वर्तमान में प्रतिवादीया नं01 का पुत्र नहीं है, बल्कि प्रतिवादी नं02 मुस0 रूक्को ने मु0 दीपो व उसके पति श्री प्रेमसिंह से गोद ले लिया था तथा उक्त गोद के सम्बन्ध में एक गोद पत्र दिनांक 08.03.1983 को ही तहरीर व तकमील कर उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन में पंजीकृत करा दिया था, जो उक्त कार्यालय में दिनांक 15.03.1983 को पुस्तक संख्या 3, जिल्द संख्या 1 पृष्ठ संख्या 9–10, कमांक –5 पर पंजीबद्ध किया गया है। वादीया का विवाह उसके पिता ने सन् 1985 में ग्राम बाछरेन में तथा प्रतिवादीया नं01 का विवाह उसके पिता ने सन् 1961 में कस्बा भुसावर में कर दिया था, तभी से वे दोनों अपनी अपनी ससुरालों में अलग अलग निवास कर रही हैं। विवाह के पश्चात फरीकेन का कोई संयुक्त परिवार नहीं रहा है, ना ही वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। सजरा गलत प्रस्तुत किया गया है, सजरे में चतुर्भज को दीपो का पुत्र गलत दर्ज किया है। चतुर्भुज दीपो का पुत्र नहीं है, बल्कि रूक्को का दत्तक पुत्र है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं0 3 में स्वर्गीय सुक्का उर्फ सुक्खन के कोई मेल ईश्यू न होना तथा उसकी दो पुत्रियॉ वादीया व प्रतिवादीया नं01 होना तथा बेबा रूक्को होना व सुक्का उर्फ सुक्खन का सन् 1975 के आस पास स्वर्गवास हो जाना स्वीकार है, शेष मजमून कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। स्वर्गीय सुक्का उर्फ सुक्खन अपने जीवनकाल में ही अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह सम्पन्न करके उनके हिस्से की धन सम्पत्ति विवाह के समय दान दहेज के रूप में उन्हें दे चुका था। वादीया तथा प्रतिवादी नं01 अपने विवाह के पश्चात अपने अपने हिस्से की सम्पत्ति लेकर अपनी अपनी ससुराल कमशः बाछरैन व भुसावर रहने लग गयी थी। स्वर्गीय श्री सुक्का उर्फ सुक्खन कोली की जायदाद की एक मात्र वारिस उसकी पत्नि मुस0 रूक्को शेष थी। इसलिए आराजी मुतजिका मद नं01 वाद पत्र का नामान्तकरण स्वर्गीय मुस0 रूक्को के नाम तस्दीक किया जाकर उसके नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई थी। किसी भी कर्मचारी से कोई साज नहीं किया गया।

खातेदेारी सही दर्ज की गई थी। वादीया व प्रतिवादीया नं01 का उक्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। मुस0 रूक्को के नाम खातेदारी को किसी भी प्रकार से एवनिशियो बोईड व शून्य प्रभावी करार नहीं दिया जा सकता है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। तथाकथित बंटवारा के अनुसार स्वर्गीय सुक्कन की तीनों दुकानात व उसके ऊपर बनी मकानियत व आराजी खसरा नम्बर 1767 वाके कस्बा हिण्डौन के सम्बन्ध में यह तय किया गया था कि " पूर्वी लाईन की उत्तर रूआ दुकान छत तक मु0 अंगूरी पक्षकार, बिचली दुकान उत्तर रूआ रूक्को पक्षकार, पश्चिमी लाईन की उत्तर रूआ दुकान दीपो पक्षकार के समूल कब्जा की रही है व दुकानों के छतों की ऊपरी मंजिलें उन पक्षकारों के कब्जा की हैं, जिनकी दुकानें ग्राउण्ड फ्लोर पर हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1767 मजकूर रूक्को के कब्जे में है। इस मौखिक कार्यवाही में यह भी तय पाया गया कि अंगूरी पक्षकार दुकान की छत के ऊपर के भाग को अपनी ओर से ट्रांसफर नहीं कर सकेगी " आगे यह भी तय किया गया था कि " जैसा कब्जा जिस जायदाद पर है वैसा ही पक्षकारान का सदैव बना रहेगा " चूंकि वादी ने उक्त पार्टीशन की शर्तों के विपरीत जाकर उसको मिली दुकान मय छत के दिनांक 20.01.2009 को श्रीमती रूमाली धर्म पत्नि राधेश्याम कोली निवासी शीतला कोलोनी हिण्डौन को विक्रय कर दी है। प्रतिवादीया नं01 ने वादीया से उक्त संदर्भ में जानकारी मिलने पर तकाजा किया तो वादीया ने नाराज होकर यह असत्य वाद पेश कर दिया है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं. 5 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। आराजी खसरा नम्बर 1767 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा जिसका मौजूदा खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 बना है, के तीन हिस्सा बराबर मुताविक फेमिली सेटिलमेन्ट कभी नहीं रखा गया, बल्कि आराजी खसरा नम्बर 1767 की खातेदारी स्वर्गीय श्री सुक्कन की मृत्यु के पश्चात सन् 1977–78 में ही मुस0 रूक्को के नाम दर्ज कर दी गई थी। मुस0 रूक्को ही उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार थी, इसलिए तथाकथित बंटवारा पत्र में यह दर्ज किया गया था कि " कृषि भूमि खसरा नम्बर 1767 मजकूर रूक्को के कब्जे में है" तथा अन्त में यह दर्ज किया गया था कि " जैसा कब्जा जिस जायदाद पर है वैसा ही पक्षकारान का सदैव बना रहेगा " प्रतिवादी न01 व 2 ने मुस0 रूक्को से कभी कोई साज नहीं किया, ना ही प्रतिवादी नं01 व 2 ने मुस0 रूक्को से साज करके या फर्जी तौर पर एक वसीयत द्वारा रूक्को बहक प्रतिवादी न02 दिनांक 07.12.1989 को तस्दीक ही करवाई। बल्कि प्रतिवादी नं02 स्वर्गीय रूक्को का दत्तक पुत्र है। इसलिए स्वर्गीय रूक्को ने अपनी स्वेच्छा से उक्त वसीयतनामा बिना किसी से साज किये जब प्रतिवादी नं02 की आयु मात्र 14

साल थी, उसके हक में तहरतर व तकमील कर पंजीकृत करवाई थी। नामान्तकरण संख्या 475 तारीखी 04.06.1994 प्रतिवादी नं02 के पक्ष में किसी फर्जी वसीयत के आधार पर नहीं भरा जाकर तस्दीक किया गया, बल्कि पंजीकृत वसीयत व कब्जे के आधार पर नियमानुसार तहरीर व तकमील कर तस्दीक किया गया था, जिसकी वादीया को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारीी है, लेकिन जमीनों की कीमतें काफी बढ गई हैं, इसलिए वादीया की नीयत में खोट आया है तथा उसने भूमि विवादग्रस्त को हडपने के उद्देश्य से यह वाद दायर कर दिया है। वादीया ने भूमि विवादग्रस्त को आज दिन तक कभी काश्त नहीं किया। वादीया अपने विवाह के पश्चात से अर्थात सन् 1965 से ही अपनी ससुराल भुसावर में रहती है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 6 कतई गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। आराजी विवादग्रस्त अब पुश्तैनी जमीन नहीं है, वकौल वादीया उक्त भूमि स्वर्गीय रूक्को को पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई थी, जिसकी वह स्वंय खातेदार काश्तकार थी। वसीयत पूर्ण रूपेण विधि सम्मत् है। कानूनन एवनिशियो बोईड व शून्य प्रभावी नहीं है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 7 कतई गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। मुस0 रूक्को भूमि मुतदाविया की 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार नहीं थी, बल्कि वह भूमि मुतदाविया की एक्सक्यूसिव खातेदार काश्तकार थी, इसलिए उसे भूमि मुतदाविया के सम्पूर्ण हिस्सा को हस्तातंरण करने का पूर्ण अधिकार था। वसीयत व मौजूदा खातेदारी बहक चतुर्भुज ना तो एवनिशियो बोईड है और ना ही शून्य प्रभावी है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 8 कतई गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। नामान्तकरण सं0 475 दिनांक 04.06.1994 की जॉच जरिये हल्का गिरदावर द्वारा गोद –पत्र रूक्को बहक चतुर्भुज सही अंकित किया है। नामान्तकरण के कॉलम नं0 14 में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 07.12.1989 का सही जिक किया है तथा जमाबन्दी आधार वर्ष 2047 में लगे नोट में चतुर्भुज दत्तक पुत्र सुक्कन सही बताया है। उक्त तीनों बातें एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल सही हैं। दत्तक वसीयत के आधार पर नहीं है, बल्कि अलग से पंजीकृत एडोप्शनडीड (Adoption Deed) है। जमाबन्दी किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, ना ही शून्य प्रभावी है, बल्कि पूर्ण रूपेण विधि सम्मत है।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 9 कतई गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 07.06.2018 को या कभी भी वादीया भूमि मुतदाविया को अगली फसल के लिए तैयार करने कभी नहीं आयी। प्रतिवादी नं01 वादीया को

खेत पर कभी नहीं मिली, ना ही प्रतिवादी नं02 ने भूमि मुतदाविया के 1 करोड 20 लाख रूपये मांगे। ना ही किसी प्रोपर्टी डीलर ने 80 लाख रूपया लगाये, ना ही उक्त मद मेंदर्ज कोई बात प्रतिवादी नं01 ने वादीया से कही, ना ही प्रतिवादीगण ने उक्त मद में दर्ज कोई धमकी वादीया को दी । वादीया ने कभी कोई पडौसियान या रिश्तेदारान कभी इकट्ठे नहीं किये, ना ही पक्षकारान के मध्य या अन्य किसी के मध्य कोई समझायश जैसी बातें ही हुई। उक्त मद में समस्त तथ्य वादीया ने दावा हाजा दायर करने के उद्देश्य से कतई असत्य व मनगढन्त दर्ज किये हैं। दावा गलत पेश किया गया है।

जबावदावा के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 10 कतई गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने वादीया की किसी पुश्तैनी जमीन को बेचने की कोई धमकी किसी प्रकार की कभी नहीं दी। भूमि मुतदाविया प्रतिवादी नं02 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिससे वादीया का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। भूमि मुतदाविया पुश्तैनी नहीं है। वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई विनाय दावा उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए विनायदावा के अभाव में वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 रिजेक्ट किये जाने योग्य है।

जबावदावा के मद नं0 11 वाद पत्र का मद नं0 11 कतई गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। वसीयत को एवनिशियो बोइड व शून्य प्रभावी की घोषणा सिविल कोर्ट ही कर सकती है। माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं0 12,13,14 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 12, 13, 14 कानूनी है, मोहताज जबाव नहीं हैं।

जबावदावा के मद नं0 15 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं0 15 के उपमद क, ख, ग, घ में दर्ज अनुतोष से इन्कारी है। वादीया उक्त मद में दर्ज कोई अनुतोष विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त कथन

जबावदावा के अतिरिक्त कथन मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2529 वाके कस्बा हिण्डौन का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं0 2 है। इसलिए प्रतिवादीया नं01 को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है, इसलिए मुकदमा हाजा में मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज का नुस्ख आरिज है और इसी आधार पर वादीया का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

जबावदावा के अतिरिक्त कथन मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वादीया ने दावा हाजा में वसीयत तारीखी 07.12.1989 को एवनिशियो बोईड व शून्य प्रभाव करार देने की घोषणा

का अनुतोष चाहा है, जिसे देने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है, इसलिए दावा हाजा माननीय न्यायालय में पोषनीय नहीं है, क्षेत्राधिकार के अभाव में इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

जबावदावा के अतिरिक्त कथन मद नं0 3 में दर्ज किया है कि वादीया ने दावा हाजा विभाजन के लिए प्रस्तुत किया है, जबकि विभाजन केवल रिकोर्डेड खातेदारों के मध्य ही संभव है। वादीया आराजी मुतदाविया की खातेदार नहीं है, इसलिए वादीया का वाद बाबत् विभाजन आराजी पोषनीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

जबावदावा के अतिरिक्त कथन मद नं0 4 में दर्ज किया है कि वादीया भूमि मुतदाविया पर वास्तविक भौतिक रूप से काबिज नहीं है, इसलिए कब्जे के अभाव में वादीया का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पोषनीय नहीं है, बल्कि खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबावदावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगणक मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादीया बहिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नं01 वहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण इसी अनुसार अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं। – वादी
2. आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादीया के 1/2 हिस्से की नीट्स एंड बाउण्ड से खातेदारी अलग कायम कराने, वादी तथा प्रतिवादी नं01 का 1/2 की अलग अलग खातेदारी कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के वादी अधिकारी हैं एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं। – वादी
3. आया वादग्रस्त खसरा नम्बर 2529 वाके कस्बा हिण्डौन का प्रतिवादी नं02 खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी नं01 को वादी ने गलत पक्षकार बनाया है, मुकदमा न्यायालय में मिस जोइंडर ऑफ पार्टीज का नुस्क आरिज है। इसी आधार पर वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। –प्रतिवादीगण
4. आया दावा वादीगण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अभाव में, वादी आराजी मुतदाविया की खातेदार नहीं है एवं वादी का वादग्रस्त भूमि पर वास्तविक भौतिक रूप से काबिज नहीं है इसलिए कब्जे के अभाव में वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने पर दावा खारिज किये जाने योग्य है। – प्रतिवादीगण

वकील वादीया ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2047, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नामान्तकरण सं0 475 फैंसल दिनांक 04.06.1994, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, फोटो प्रति लिखावट नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 5/–रूपया दिनांक 28.01.1983, फोटो प्रति जन आधार/भामाशाह संख्या 9987-MY4Y-14520 पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, फोटो प्रति रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 19.03.1983, फोटो प्रति लिखावट नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 5/–रूपया दिनांक 28.01.1983, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2009 उनवानी अंगूरीदेवी बहक श्रीमती रूमाली, फोटो प्रति रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 15.03.1983 उनवानी मु0 रूक्को बहक चतुर्भुज, फोटो प्रति रजिस्टर्ड मुखत्यारनामा आमदिनांक 07.12.1989 उनवानी मु0 रूक्को बहक चतुर्भुज पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादीया का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं01 व 2 ने जबावदावा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीया का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

निर्णय तनकी नं01 :– आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादीया बहिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नं01 वहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण इसी अनुसार अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीया के जिम्मे हैं। जिसको साबित करने के लिए वकील वादीया ने दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2047 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी मु0 सुक्को बेबा सुक्का जाति कोली निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार कस्बा हिण्डौन की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1767 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 2529 रकवा 0.69 है0 दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये हैं।

नकल नामान्तकरण सं0 475 फैंसल दिनांक 04.06.1994 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन के खातेदार मु0 सुक्को बेबा सुक्का जाति कोली निवासी ग्राम के स्थान पर मुताविक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 07.12.1989 पुस्तक सं0 4, जिल्द सं05 पृष्ठ सं0 217 कम सं0 52 पर पंजीबद्ध किया गया अति0

पुस्तक सं0 4 पृष्ठ सं0 331 से 334 पर चस्पा किया गया मृत्यु दिनांक 21.01.1990 प्रमाण पत्र नगरपालिका चस्पा है के आधार पर दिनांक 02.03.1994 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया तथा गिरदावर हल्का ने दिनांक 15.04.1994 को जॉच रिपोर्ट अंकित में मूल गोद पत्र से जॉच की। गोद पत्र में गोद लेने वाली मु0 रूक्को बेबा सुक्कन द्वारा चतुर्भुज को गोद लिया है जबकि जमाबन्दी में खाता मु0 सुक्को बेबा सुक्का के नाम है, अतः रिकार्ड से मेल नहीं खाता है। तहसीलदार हिण्डौन ने दिनांक 06.06.1994 को अपनी टिप्पणी अंकित की है कि आज नामान्तकरण पेश हुआ, मूल वसीयत का अवलोकन किया, नाम की भिन्नता के बारे में शपथ पत्र तस्दीकशुदा संलग्न है। नवीन अंकन स्वीकार है। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी चतुर्भुज दत्तक पुत्र सुफ्फन जाति कोली निवासी भुसावर हाल हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति लिखावट नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 5/–रूपया दिनांक 28. 01.1983 में अंकित किया है कि रूक्को बेबा श्री सुक्खन जाति कोली , मु0 दीपो पुत्री सुक्खन धर्म पत्नि प्रेमसिंह कोली, अंगूरी पुत्री सुक्खन, धर्मपत्नि सोहनलाल कोली निवासीगण कोतवाली रोड हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर है जोकि हम तीनों पक्षकार स्वर्गीय श्री सुक्खन कोली हिण्डौन के उत्तरजीवी है, इस तथ्य को माननीय मुंसिफ मजि. हिण्डौन ने मुकदमा सुक्खन बनाम इन्द्रभान नम्बर 27/74 की तहकीकात के सिलसिले में दिनांक 15.12.1975 को स्वीकार की है। स्वर्गीय सुक्कन द्वारा उपार्जित एक दुकान वहदूद अर्वा जैल व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1767 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा हिण्डौन है कि जिस पर हम लोग वहैसियत कायम मुकाम, उक्त श्री सुक्खन की फौतीदवा के बाद काबिज हैं। रूक्को पक्षकार की, दीपो व अंगूरी पक्षकार पुत्री हैं और यही उसके उत्तरजीवीं होंगी। दुकान उपर मकान की सीमा इस प्रकार है :– उत्तर में फुटपाथ व आगे सडक आम, दक्षिण में मकान पुख्ता गिर्राज मूलचन्द वाला, पूर्व में गली छोड जायदाद पन्ना कोली, पश्चिम में जायदाद बसन्तलाल वैध वाली है। इस दुकान के ऊपर रिहायश है, उक्त जायदाद के हमारे कब्जा के बाद, हम लोगों ने राजी खुशी से बाहमी राजीनामा के आधार पर, उक्त जायदाद व खेत के स्वामित्व, स्वत्व के बारे में परस्पर फेंसला बंटवारा का कर लिया कि जिस पर अभी तक अमल हो रहा है। चूंकि यह सारी कार्यवाही मौखिक है, इसलिए इस कार्यवाही की याद्दास्त हेतु यह MEMORENDUM OF FAMILY PARTITION का निष्पादित कराना आवश्यक हुआ है।

यह है कि, उक्त दुकान के मौके पर जो तीन हिस्से, छोटी दुकानों के रूप में विद्यमान हैं, उनमें से पूर्वी लाईन की उत्तर रूबा दुकान छत तक मु0 अंगूरी पक्षकार, बिचली

दुकान उत्तर रूबा रूक्को पक्षकार, पश्चिमी लाईन की उत्तर रूबा दुकान दीपो पक्षकार के मूल कब्जा की रही है व दुकानों के छतों के ऊपर की मंजिलें उन पक्षकारों के कब्जा की है कि जिनकी दुकानें ग्राउण्ड फ्लोर पर हैं। कृषि भूमि नम्बर 1767 मजकूर रूक्को के कब्जा में है। इस मौखिक कार्यवाही में यह भी तय पाया गया था कि अंगूरी पक्षकार दुकान की छत के ऊपर के भाग को अपनी ओर से ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। यह भी तय पाया गया था कि उपरोक्त सीमा वाली जायदाद में स्थित जीना व गली रोसटोडा हम सभी में मुसतरका देखभाल में रहेंगे, उपभोग में रहेंगे। कोई पक्ष इस बंटवारे के बारे में चुनौती नहीं देंगे। अन्यथा वह राज पंच में झूंठी होगी। जैसा कब्जा जिस जायदाद पर है वैसा ही पक्षकारान का सदैव बना रहेगा।

अतः यह MEMORENDUM OF FAMILY PARTITION हम सभी पक्षकारों ने राजी खुशी व होश हबाश से आज दिनांक 01 फरवरी सन् 1983 को 5/–रूपया मूल्य के एक स्टाम्प पर कल्याण प्रसाद शर्मा प्रलेख लेखक लाईसेन्स नं0 743 हिण्डौन द्वारा तहरीर व तकमील करा दिया सो प्रमाण रहे। उक्त लिखावट पर पक्षकारान एवं गवाहान के हस्ताक्षर निशानी अंकित हैं।

फोटो प्रति जन आधार/भामाशाह संख्या 9987-MY4Y-14520 के अनुसार अंगूरी पत्नि सोहनलाल के माता–पिता रूक्को– सुक्कन हैं।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन रूक्को पत्नि सुक्को जाति कोली निवासी हिण्डौन की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थी। रूक्को के फौत होने पर उक्त भूमि का नामान्तकरकण सं0 475 मुताविक रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर भरकर तस्दीक किया गया है। रजिस्टर्ड बसीयतनामा एवं गोद पत्र को वादीया ने माननीय सिविल न्यायालय से आदिनांक तक कैन्सिल नहीं कराया गया है। वादीया इस मुकदमा में उक्त रजिस्टर्ड बसीयतनामा एवं गोद पत्र को एवनिशियो बोईड एवं प्रभावहीन शून्य घोषित कराना चाहती है। जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादीया बहिस्सा 1/2 की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी साबित नहीं होती है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का प्रतिवादी नं02 वर्तमान में रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीया निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं02 :– आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादीया के 1/2 हिस्से की नीट्स एंड बाउण्ड से खातेदारी अलग कायम कराने, वादी तथा प्रतिवादी नं01 का 1/2 की अलग अलग खातेदारी कायम कर राजस्व

रिकार्ड में अमल दरामद कराने के वादी अधिकारी हैं एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीया के जिम्मे है। तनकी नं01 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादीया बहिस्सा 1/2 की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी साबित नहीं है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का प्रतिवादी नं02 वर्तमान में रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जब वादीया उक्त विवादित आराजी में 1/2 की खातेदार काश्तकार ही नहीं है तो वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का विधिवत रूप से तकास्मा कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की भी अधिकारी साबित नहीं है। ऐसे हालात में यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीया निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं03 :– आया वादग्रस्त खसरा नम्बर 2529 वाके कस्बा हिण्डौन का प्रतिवादी नं02 खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी नं01 को वादी ने गलत पक्षकार बनाया है, मुकदमा न्यायालय में मिस जोइंडर ऑफ पार्टीज का नुस्क आरिज है। इसी आधार पर वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं01 व 2 के जिम्मे है। तनकी नं01 व 2 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 2529 वाके कस्बा हिण्डौन का प्रतिवादी नं02 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नं01 को वादीया ने पक्षकार मुकदमा इसलिए बनाया गया कि प्रतिवादी नं01 मु0 रूक्को की पुत्री है तथा वादीया, प्रतिवादी रूक्को की खातेदारी की भूमि में 1/2 हिस्से का वाद लेकर आयी है इसलिए प्रतिवादी सं01 को पक्षकार मुकदमा सही बनाया गया है। उक्त मुकदमा में मिस जोइंडर ऑफ पार्टीज का नुख्स आरिज नहीं होता है। ऐसे हालात में यह तनकी बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं04 :– आया दावा वादीगण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अभाव में, वादी आराजी मुतदाविया की खातेदार नहीं है एवं वादी का वादग्रस्त भूमि पर वास्तविक भौतिक रूप से काबिज नहीं है इसलिए कब्जे के अभाव में वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने पर दावा खारिज किये जाने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं01 व 2 के जिम्मे है। तनकी नं01 ता 3 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि रजिस्टर्ड बसीयतनामा एवं गोद पत्र को वादीया ने माननीय सिविल न्यायालय से आदिनांक तक कैन्सिल नहीं कराया गया है। वादीया इस मुकदमा में उक्त रजिस्टर्ड बसीयतनामा एवं गोद पत्र को एवनिशियो बोईड एवं प्रभावहीन शून्य घोषित कराना चाहती है। जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय को

प्राप्त है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में वादीया बहिस्सा 1/2 की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी साबित नहीं है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का प्रतिवादी नं02 वर्तमान में रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जब वादीया उक्त विवादित आराजी में 1/2 की खातेदार काश्तकार ही नहीं है तो वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का विधिवत रूप से तकास्मा कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की भी अधिकारी साबित नहीं है। ऐसे हालात में यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीया निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तनकी नं0 1,2,4 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीया हुआ है। इस प्रकार वादी अपने दावे को साबित करने में असफल रही है। इसलिए वादीया का दावा बाबत् इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् बाबत् इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 12/8/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली